

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

105/2025
संज्ञान :-
1. संजय कुमार पुत्र भूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति विश्‍नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

- वनाम :-वादीगण
1. भूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति विश्‍नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
 2. अंजू पुत्री भूपसिंह जाति विश्‍नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
 3. पूनम पुत्री भूपसिंह जाति विश्‍नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
 4. बिमला पत्नी भूपसिंह जाति विश्‍नोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल व वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र कडवासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के खाता सं० 22/51 के मु० न० 3 के किला न० 22 की 0.253है० नहरी, किला न० न० 23 की 0.240है० नहरी, मु० न० 9 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 5 की 0.164है०, किला न० 6 की 0.164है०, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० किला न० 15 की 0.164है०, किला न० 16 की 0.164है०, किला न० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 25 की 0.139है०, मु० न० 17 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है०, किला न० 7/1 की 0.228है०, किला न० 7/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 13/1 की 0.215है०, किला न० 13/2 की 0.038है० गै० मु० खाला, किला न० 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.215है०, किला न० 19/2 की 0.038है०, किला न० 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 22/1 की 0.215है०, किला न० 22/2 की 0.038है० गै० मु० खाला, किला न० 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 24 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल रकबा 11.6610है० जिसमें नहरी 0.493है०, बरानी 10.979है०, गै० मु० खाला 0.189है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह अकेले के बजाए वादी सं० 1 संजय कुमार व प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायिक की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

105/2025

1. संजय कुमार पुत्र भूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति विशनोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति विशनोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. अंजू पुत्री भूपसिंह जाति विशनोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. पूनम पुत्री भूपसिंह जाति विशनोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
4. विमला पत्नी भूपसिंह जाति विशनोई निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेन्द्र गोयल वादी
श्री रविन्द्र कडवासरा प्रतिवादी

दिनांक: 3/6/2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 बीएचपी के खाता सं० 22/51 के मु० न० 3 के किला न० 22 की 0.253 है० नहरी, किला न० न० 23 की 0.240 है० नहरी, मु० न० 9 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 5 की 0.164 है०, किला न० 6 की 0.164 है०, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253 है० किला न० 15 की 0.164 है०, किला न० 16 की 0.164 है०, किला न० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 25 की 0.139 है०, मु० न० 17 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 5/1 की 0.228 है०, किला न० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228 है०, किला न० 6/2 की 0.025 है०, किला न० 7/1 की 0.228 है०, किला न० 7/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 13/1 की 0.215 है०, किला न० 13/2 की 0.038 है० गै० मु० खाला, किला न० 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 19/1 की 0.215 है०, किला न० 19/2 की 0.038 है०, किला न० 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 22/1 की 0.215 है०, किला न० 22/2 की 0.038 है० गै० मु० खाला, किला न० 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 24 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल रकबा 11.6610 है० जिसमें नहरी 0.493 है०, वारानी 10.979 है०, गै० मु० खाला 0.189 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

कल्पित शिवरान (राजस्व,
उपखण्ड अधिकारी, भादरा)


वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद रोही गौजा चक 2 बीएचपी वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहगती प्रकट की।

हमारे द्वारा अग्निभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही गौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं० 22/51 के मु० न० 3 के किला न० 22 की 0.253है० नहरी, किला न० न० 23 की 0.240है० नहरी, मु० न० 9 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 5 की 0.164है०, किला न० 6 की 0.164है०, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० किला न० 15 की 0.164है०, किला न० 16 की 0.164है०, किला न० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 25 की 0.139है०, मु० न० 17 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है०, किला न० 7/1 की 0.228है०, किला न० 7/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 13/1 की 0.215है०, किला न० 13/2 की 0.038है० गै० मु० खाला, किला न० 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.215है०, किला न० 19/2 की 0.038है०, किला न० 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 22/1 की 0.215है०, किला न० 22/2 की 0.038है० गै० मु० खाला, किला न० 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 24 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल रकबा 11.6610है० जिसमें नहरी 0.493है०, बाराणी 10.979है०, गै० मु० खाला 0.189है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं० 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 3 वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पति में पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को उसकी सम्पति में हक मिलेगा। इस प्रकार पैतृक सम्पति में पति के जीवनकाल में पत्नी को पैतृक सम्पति में हिस्सा की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही गौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं० 22/51 के मु० न० 3 के किला न० 22 की 0.253है० नहरी, किला न० न० 23 की 0.240है० नहरी, मु० न० 9 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 5 की 0.164है०, किला न० 6 की 0.164है०, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० किला न० 15 की 0.164है०, किला न० 16 की 0.164है०, किला न० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 25 की 0.139है०, मु० न० 17 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है०, किला न० 7/1 की 0.228है०, किला न० 7/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 8, 9, 12 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 13/1 की 0.215है०, किला न० 13/2 की 0.038है० गै० मु० खाला, किला न० 14 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.215है०, किला न० 19/2 की 0.038है०, किला न० 20 व 21 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 22/1 की 0.215है०, किला न० 22/2 की 0.038है० गै० मु० खाला, किला न० 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 24 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल रकबा 11.6610है० जिसमें नहरी 0.493है०, बाराणी 10.979है०, गै० मु० खाला 0.189है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह अकेले के बजाए वादी सं० 1 संजय कुमार व

प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह को वहिस्सा वरावर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है
प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1
के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को
पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त
के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त
होने किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/6/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



(कल्पित शिवशर्मा)

R.A.S .
उपखण्ड (अधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़